International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

भारत में 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

Dr. Sanjeet
Lecturer in History
G.S.S. Baniyani, District – Rohtak (HR.)
E-mail: sanjeetkanehli1980@gmail.com

शोध आलेख सार– शिक्षा व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। शिक्षा से सम्बन्धित नीति निर्माण का कार्य व नीति क्रियान्वयन में केन्द्र व राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारत में सर्वप्रथम 1948 में डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में शिक्षा व्यवस्था को संगठित करने के प्रयास शुरू हुए और उसके बाद 1952 में लक्ष्मीस्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। आगे चलकर 1964 में कोठारी आयोग बना तथा इसी आधार पर 1968 में एक शिक्षा प्रस्ताव पास हुआ ताकि राष्ट्रीय विकास के लिए वचनबद्ध चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवाओं को तैयार किया जा सके। इसके बाद 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा हुई तथा 1986 में भारतीय संसद ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृति दी जो 1992 में नये रूप में पेश की गई। अभी हाल ही में वर्ष 2016 में मोदी सरकार ने भी बदलते परिवेश के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया है। चूंकि यह प्रारूप 1986 की शिक्षा नीति से काफी कुछ उपयोगी सामग्री को आधार बनाकर तैयार हुआ है और इसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी किये गए है, फिर भी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसका महत्व आज भी स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में 1986 की शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया है।

मूलशब्द– शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा आयोग, सर्व शिक्षा अभियान।

भूमिका– वस्तुतः भारतीय संविधान में भाग चार के अन्तर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य के द्वारा सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा निशुल्क व अनिवार्य करने की व्यवस्था की जायेगी। इस कदम को आगे बढाते हुए 86वें संविधान संशोधन द्वारा चौदह वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 21 (क) जोड़कर इसे मौलिक

अधिकार बना दिया गया। इसके बाद देश के सम्पूर्ण राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान को अमली जामा पहनाया गया ताकि हर बच्चे तक शिक्षा का मूलभूत अधिकार पहुंच सके। इसके साथ–साथ शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्त्तव्यों में भी जगह दी गई है। शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है उसका इतिहास काफी पुराना है। इसके विकास में 1986 की शिक्षा नीति का विशेष योगदान है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण– भारतीय संविधान में शिक्षा को सम्वर्ती सूची में स्थान दिया गया है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में हुई अपनी 18वीं बैठक में देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रचलित प्रणाली की जांच इसके पुनर्गठन तथा सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग की स्थापना पर बल दिया था।[1] इस आधार पर भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1952 के एक प्रस्ताव द्वारा माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की और इस आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे चलकर 1964–66 में 20 वर्ष के लिए शिक्षा के विकास की रूपरेखा तैयार की। इस क्रम में 1967 में भारत सरकार ने संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया। इस समिति की बैठक द्वारा 1967 में शिक्षा की नीति पर व्यापक विचार विमर्श हुआ और अंततः 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव भारत सरकार ने जारी किया। इस क्रम में 1973 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 10+2+3 शिक्षा के ढांचे पर एक राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की ताकि सारे देश में एक जैसी शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। 1977–78 के अंत तक यह व्यवस्था लगभग देश के अधिकांश राज्यों में लागू हो गई। इसके बाद 5 जनवरी 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति का निर्माण करने की बात दोहराई और अंततः अप्रैल 1986 में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ। मई 1986 में भारतीय संसद द्वारा इसे मंजूरी मिल गई।

वास्तव में 1986 की नई शिक्षा नीति एक व्यापक नीति है जो अनेकों शिक्षा सम्बन्धी विषयों को समेटे हुए है और इसी आधार पर इसको लागू करने पर बल दिया गया। इस

[1] एस.गुप्ता एवं जे.सी. अग्रवाल, **भारत में प्रारम्भिक शिक्षाः स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात,** क्षिप्रा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009, पृ0 37.

शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन मोड़ लाने में अपनी अहम् भूमिका अदा की। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया गयाः–

- इसमें नई पीढ़ी के विकास पर बल दिया गया ताकि छात्रों को नये तथ्यों का ज्ञान प्रदान किया जा सके और उनकी योग्यताओं का विकास संभव हो सके।
- इस नीति के अन्तर्गत निरक्षरता को दूर करने के लिए शिक्षा के प्रसार व प्रचार पर बल दिया गया ताकि देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को साक्षर बनाया जा सके।
- इसमें महिला निरक्षरता की दर को कम करने तथा उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए महिला साक्षरता पर बल दिया गया। इस नीति में महिला शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है तथा विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया है।[2] यह नीति स्त्री पुरूष के बीच लैंगिक भेद को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।
- इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से निरक्षरता दूर करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा देने पर बल दिया गया ताकि बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। इसके साथ–साथा इस नीति में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा को एक उपयोगी माध्यम बनाने पर बल दिया गया।
- इस नीति के अन्तर्गत सभी को समान शिक्षा देने तथा शिक्षा का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
- इसमें मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया और अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
- इस नीति में शिक्षा को आधार मानकर व्यक्ति में आत्मनिर्भरता के गुण पैदा करने पर बल दिया गया तथा निजी क्षेत्रों में भी शिक्षा का अनिवार्य किया गया।

[2] विभान्शु मिश्रा, **महिला शिक्षा, वर्तमान परिदृश्य,** अमेजिंग पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2015, पृ0 48.

- इसके द्वारा देश के नागरिकों में लोकतांत्रिकों मूल्यों के विकास पर बल दिया गया ताकि भारत के सभी नागरिक समता तथा धर्म निरपेक्षता के आधार पर शिक्षित बनकर राष्ट्रीय विकास में योगदान दें।
- इसमें व्यक्ति के व्यवहार में सामाजिकता की भावना का विकास करने पर बल दिया गया ताकि देश के नागरिक एकता व अखण्डता की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हों।

नई शिक्षा नीति के केन्द्र बिन्दु – वास्तव में यह शिक्षा नीति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए नया मार्ग प्रस्तुत करती है और देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करती है। इसमें युवाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है और उनके विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए शिक्षा को व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास का साधन मानने पर बल दिया गया है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं व आयोगों पर बल दिया गया है तथा मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है ताकि भारत की साक्षरता दर में वृद्धि हो सके। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन के विकास की अवधारणा का पोषण करती है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भारत अधिक से अधिक विकास कर सके। इसमें तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया तथा लोक व्यवहारिक शिक्षा को पोषित करते हुए देश के नागरिकों में एकता की भावना पैदा करने पर बल दिया गया।

इसमें शिक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के निर्माण पर बल दिया गया है और सभी नागरिकों को समान मानते हुए समान रूप से सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह नीति 10+2+3 की शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की पक्षधर रही है। इसके द्वारा प्रौढ शिक्षा पर पूर्ण जोर दिया गया है ताकि प्रौढ शिक्षा के द्वारा लोगो का बौद्धिक विकास किया जा सके।[3] इसके पीछे भारत सरकार यह उद्देश्य था कि जिस समय यह नीति लागू की जा रही थी उस समय देश का एक बहुत बड़ा तबका शिक्षा से वंचित था। इसके द्वारा ग्रामीण लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने की अपेक्षा सभी लोगों को थी। इसमें दूरगामी क्षेत्रो में निवास करने वाले लोगों के शिक्षण

[3] एन एस.बख्शी, **भारतीय शिक्षा का ज्ञानकोष**, लक्ष्य पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2014, पृ0 167.

पर बल दिया गया तथा विभिन्न प्रकार के दृश्य–श्रव्य साधनों के प्रयोग के द्वारा शिक्षा के विकास को प्राथमिकता दी गई। इसमें भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों के पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित किये गए तथा व्यवसायिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया गया। इसमें विकलांगों को शिक्षित करने के लिए छात्रावास सहित विशेष विद्यालयों के निर्माण पर बल दिया गया।

इसके साथ–साथ इस नीति में अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके लिए मध्य दिवसीय भोजन तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाऐं संचालित की गई। इस वर्ग को व्यवसायिक व तकनीकी दृष्टि से शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था भी की गई। इसमें नवोदय विद्यालय स्थापित करने तथा बालकों की व्याप्त क्षमता के अनुसार शिक्षण व्यवस्था की गई। इन विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया।

1986 की शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए विद्यालयी शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। इसमें शिक्षा के नियोजन व प्रबंधन में शिक्षकों की सहभागिता पर बल दिया गया। इसके साथ–साथ महिला शिक्षकों को आवश्यकता पड़ने पर लंबी छुट्टी देने की अनुमति की व्यवस्था भी इसमें की गई। इसमें दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षकों के लिए निशुल्क आवासीय सुविधाऐं देने पर बल दिया गया। इसमें शिक्षकों की सेवानिवृति के बाद पेन्शन तथा अन्य सुविधाऐं देने पर बल दिया गया।[4]इस नीति में शिक्षा के लिए योग्यता के आधार पर उपयुक्त शिक्षक चयन प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

यह शिक्षा नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चों का सर्वागीण विकास हो तथा बाल केन्द्रित दृष्टिकोण पर ही प्रत्येक शैक्षिक गतिविधि का संचालन किया जाए और विद्यालयों में आवश्यक कमरे, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट तथा अन्य शिक्षण सामग्री सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाये। इसके बाद ही प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए ऑपरेशन

[4] डी.बी.राव, **नेशनल पॉलिसी ऑन ऐजुकेशन**, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1998, पृ0 523.

ब्लैकबोर्ड भी शुरू हुआ तथा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विकास के प्रयास शुरू हुए।[5] इसमें स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की समस्याओं का निदान करने के लिए देशव्यापी योजना तैयार करने पर बल दिया गया तथा ऐसे छात्रों को अनौपाचारिक शिक्षा से जोड़कर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने पर बल दिया गया। इसमें माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारने तथा गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया।

यह शिक्षा नीति शिक्षा को किसी न किसी व्यवसाय से जोड़ने पर बल देती है और विद्यालय स्तर पर ही व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करती है ताकि व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा छात्र अपनी आजीविका के साधन जुटा सकें। उच्चतर शिक्षा के स्तर को गिरने से बचाने के लिए विश्वविद्यालयों से कॉलेजों का प्रबन्धन करने की सही व्यवस्था करने पर इस नीति का ध्यान केन्द्रित रहा है। राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजन तथा इन संस्थाओं में तालमेल पैदा करने के लिए शिक्षा परिषदों की व्यवस्था की गई है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शन में कार्य करती है। इसमें अनुसंधान कार्य पर विशेष बल दिया गया है तथा अनुसंधान संस्थाओं को अधिक स्वायत्ता देने की वकालत की गई है।[6]

1986 की शिक्षा नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम की कल्पना की गई है, जिसमें आवश्यकतानुसार लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा को शामिल किया गया है। यह शिक्षा नीति शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल देती है तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार का समर्थन करती है। इसमें प्रतिभावान छात्रों के लिए अधिक अवसर देने की बात की गई है। यह नीति शिक्षा को जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया मानती है। इसमें स्थानीय समुदाय का सहयोग भी अपेक्षित है। इसके साथ–साथ इस नीति में डिग्री

[5] एन एस.बख्शी, **भारतीय शिक्षा का ज्ञानकोष**, लक्ष्य पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2014, पृ0 178.
[6] एस.गुप्ता एवं जे.सी. अग्रवाल, **भारत में प्रारम्भिक शिक्षाः स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात,** क्षिप्रा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009, पृ 37.

को नौकरी से अलग करने की बात भी कही गई है। यह भारतीय शिक्षा सेवा के गठन की वकालत करती है तथा राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने पर बल देती है।[7]

इसके अन्तर्गत शिक्षा की प्रक्रिया को नवाचार से जोड़कर शोध और विकास के कार्यों पर बल दिया गया है।[8] इसमें तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा को अधिक कारगर बनाने के लिए शिक्षा का आधुनिकीकरण करने पर जोर दिया गया है। इसके अन्तर्गत महिला शिक्षा को बहुमुखी भूमिका के रूप में चिन्हित किया गया। यह शिक्षा नीति शिक्षकों की बहुमुखी भूमिका को पहचानते हुए शिक्षा को नये परिवेश से जोड़ती है और मूल्य आधारित शिक्षा पर बल देती है। इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली में सुधार कार्यक्रम लागू करने की बात की गई है।

नई शिक्षा नीति की समीक्षा – जब 1986 की शिक्षा नीति की 1992 में समीक्षा की गई तो इसकी कुछ कमियां उजागर हुई। इसमें नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा पर किये जा रहे खर्च को कम करने की कोई बात नहीं की गई तथा शिक्षा में समानता लाने तथा शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पड़ोसी विद्यालय व्यवस्था पर कोई उचित विचार नहीं हुआ। इस नीति में पब्लिक स्कूलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसके अलावा इस शिक्षा नीति में आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए तथा विद्यालयों को मिलने वाली सुविधाऐं सन्देह के घेरे में आ गई, फिर भी यह शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा सेवा को शुरू करने की पक्षधर रही है और शिक्षण व्यवसाय से जुड़ने वाले लोगों के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा से गुजरने की वकालत करती है ताकि योग्य एवं दक्ष व्यक्ति ही शिक्षा से जुड़ सके। यह नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक सार्थक जनभागीदारी की अपेक्षा रखती है और स्थानीय समुदाय के सक्रिय सहयोग की समर्थक है। इस नीति में तकनीकी एवं प्रबन्धन नीति पर काफी बल दिया गया है और यह परीक्षा प्रणाली में सुधार

[7] एस.गुप्ता एवं जे.सी. अग्रवाल, **भारत में प्रारम्भिक शिक्षाः स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात,** क्षिप्रा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009, पृ0 45.
[8] एल.पी. वैश्य, **उच्च शिक्षाः दशा एवं दिशा,** रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1998, पृ 32.

की पक्षधर है ताकि राष्ट्रीय संसाधनों के अनुरूप भारत की शिक्षा प्रणाली में वांछनीय परिवर्तन किये जा सकें। इस नीति में भारत की शिक्षा प्रणाली को गतिमान बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका की पहचान की गई है और शोध कार्यों एवं नवाचार को काफी महत्व दिया गया है।

सारांश– इस प्रकार 1986 की नई शिक्षा नीति में राष्ट्र विकास के लिए शिक्षा पर बल दिया गया और शिक्षण व्यवसाय में नवीनता लाने के लिए शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की व्यवस्था की गई। 1992 में इस नीति में कुछ बदलाव करके सम्पूर्ण भारत में 10+2 प्रणाली लागू की गई तथा प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क तथा अनिवार्य कर दिया गया। देश में सर्वशिक्षा अभियान के तहत बिना भेदभाव के हर तबके के छात्रों को शिक्षा से जोड़ा गया और विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन हुआ। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार आया तथा मुक्त शिक्षण प्रणाली विकसित हुई। नवाचार को ग्रहण करते हुए छात्रों को कम्पयूटर शिक्षा से जोड़कर वर्तमान शिक्षा को आज नया रूप मिल चुका है। इसके संकेत 1986 में ही मिल चुके थे। अतः 1986 की शिक्षा नीति ही भारत की शिक्षा प्रणाली का मूलभूत आधार है।

सन्दर्भ सूची–

- जे.सी. अग्रवाल, **ऐजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया,** कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1992.
- एस.एल. गोयल, **ऐजुकेशन पॉलिसी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन,** दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1994.
- एल.पी. वैश्य, **उच्च शिक्षाः दशा एवं दिशा,** रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1998.
- डी.बी.राव, **नेशनल पॉलिसी ऑन ऐजुकेशन**, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1998.
- शालीग्राम त्रिपाठी, **भारतीय शिक्षा का विकास,** राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1999.
- आर.सी. शर्मा, **नेशनल पॉलिसी ऑन ऐजुकेशन एण्ड प्रोग्राम ऑफ इम्पलीमेन्टेशन**, मंगलदीप पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2004.

- मोहम्मद मियां, **प्रोफेशलाईजेशन ऑफ टीचर ऐजुकेशन**, मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2004.
- एस.गुप्ता एवं जे.सी. अग्रवाल, **भारत में प्रारम्भिक शिक्षाः स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात,** क्षिप्रा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009.
- जे.सी. अग्रवाल, **ऐजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया**, शिप्रा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2009.
- जे. एस. कोसी, **ऐजुकेशन स्ट्रेटजीज एण्ड डेवेल्पमेंट प्लानिंग,** विजडम प्रैस, नई दिल्ली, 2011.
- चित्रगंधा सिंह, **नेशनल पॉलिसी ऑन ऐजुकेशन,** विजडम प्रेस, नई दिल्ली, 2013.
- एन. एस. बख्शी, **भारतीय शिक्षा का ज्ञानकोश**, लक्ष्य पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2014.
- विभान्शु मिश्रा, **महिला शिक्षा, वर्तमान परिदृश्य,** अमेजिंग पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2015.
- एम.के मिश्रा एवं वी.पी. शर्मा, **भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास,** अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2015.
- https://hi.wikipedia.org/wiki/***राष्ट्रीय_शिक्षा_नीति.***
- www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf